



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-76

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271416 दिनांक 12/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vinayak Kumar Jangid S/o BABULAL JANGID	श्री अंकुर नागपाल पुत्र श्री सोहन लाल नागपाल	139	138.88 SQ. YARD	Private	NARAYAN VIHAR-B Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार बी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 139 क्षेत्रफल 138.88 वर्ग मीटर का पट्टा श्री अंकुर नागपाल पुत्र श्री सोहन लाल नागपाल के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 05.08.2020 को जरिये रजि० विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती शिखा शर्मा पत्नी श्री संजय कुमार को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 10.12.2020 को जरिये रजि० विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्री सुंभई भट्ट



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								एवं श्री सोमयून्द्र भट्ट को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 18.11.2025 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान आवेदक श्री विनायक कुमार जांगिड पुत्र स्व0 श्री बाबू लाल जांगिड को किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vinayak Kumar Jangid S/o BABULAL JANGID को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |